

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन भोपाल

कं/आई.डी.एस.पी./2020/505  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/04/2020

समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
मध्यप्रदेश।

विषय:-कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय को आवश्यक मानव संसाधन सुनिश्चित करने हेतु शक्ति के प्रत्यायोजन करने के संबंध में दिशानिर्देश।


- संदर्भ:-1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2020/5848 दिनांक 21.03.2020
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2020/5883 दिनांक 23.03.2020
3. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें का क्रमांकआई.डी.एस.पी./2020/288 दिनांक 25.03.20

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा जिला स्तर चिकित्सक/स्टाफ नर्स/पैरामेडिकल स्टाफ इत्यादि का अस्थाई रूप से तीन माह की अवधि के लिये नियोजित करने हेतु अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम में ही शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था के लिये निम्न प्रकार अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं:-

अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय समस्त आवश्यक चिकित्सकीय सेवाओं के लिये चिकित्सक, स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य स्टाफ की पदस्थी कर सकेंगे।

उपरोक्त अधिकारी कोविड-19 के नियंत्रण हेतु प्रदाय किये जा रहे हैं। अतः यह व्यवस्था केवल तीन माह हेतु होगी।


  
(फैजि अहमद किदवई)

आयुक्त

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
भोपाल दिनांक 20/04/2020

कं/आई.डी.एस.पी./2020/506  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश भोपाल।
5. संचालक स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।

  
आयुक्त

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग